

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
जयपुर, राजस्थान।

क्रमांक: डीसी/डी 2/दमन 34/2016/

दिनांक

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।  
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस

विषय: गम्भीर रूप से घोषित अवमानक औषधि के संबंध में अलर्ट नोटिस।

राजकीय विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर द्वारा निम्नांकित औषधि को गम्भीर रूप से अवमानक कोटि का घोषित किया गया है:-

S. No.	Name of Drugs	B. No.	Manufacturer	T/R No. & Date	Reasons
1.	Calcitriol with Calcium Capsules (D-Calsofi Capsules)	SPI00115	Softech Pharma Pvt. Ltd., Survey No. 708/6, Behind Somnath Temple, Somnath Road, Dabhel, Nani Daman-396215.	1721/2016-2017/DTL/2016 Dated 26.08.2016	The sample does not conform to the claim with respect to in Assay of Calcitriol.  (i.e 35.56% of Claim)

अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करे तथा उक्त निर्माता की अन्य औषधियों के नमूने भी नियमानुसार जाँच हेतु लें।

६०  
(अजय फाटक)  
औषधि नियंत्रक,  
राज0 जयपुर

दिनांक 31/08/2016

क्रमांक:-डीसी/डी-2/दमन-34/2016/ 340

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप औषधि नियंत्रक (भारत), सी.डी.एस.सी.ओ (नोर्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
2. कार्यकारी निदेशक (RMSCL) मुख्यालय।
3. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर (NCHM) मुख्यालय।
4. निदेशक (जन स्वा./प.क./एड्स/एम.एस.यू./ई.एस.आई.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. Drug Licensing Authority, Dte. Of Medical Health Services, Daman.
6. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0, जयपुर।
7. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवायें तथा Drugs Control में विभागीय वेबसाईट पर Upload करने का श्रम करें।
11. रक्षित पत्रावली।

(अजय फाटक)  
औषधि नियंत्रक,  
राज0 जयपुर